न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म० प्र०)

प्रकरण क्रमांक /17-18 निगरानी
II/ निगरानी/श्योपुर/भू.रा/2018/2155

1. बूटा सिंह पुत्र श्री गुरबचन सिंह, आयु 49 वर्ष धाकड़ छोती,
2. कुलदीप सिंह पुत्र भोला सिंह, आयु 32 वर्ष
3. हरदीप सिंह पुत्र भोला सिंह, आयु 29 वर्ष
4. दर्शन सिंह पुत्र गुरुबचन सिंह, आयु 52 वर्ष धाकड़ छोती, समस्त निवासीगण - ग्राम बोरदा देव तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर म.प्र.

---- आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. अरूण कुमार पुत्र महावीर सिंह जाट
3. अमर सिंह पुत्र जगदीश जाट
4. सुमीत कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाट
5. गुरमीत सिंह पुत्र गुरूबचन सिंह

समस्त निवासीगण ग्राम बोरदा देव तहसील बड़ौदा जिला श्योपुर म.प्र.

---- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू रा.संहिता 1959 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2018 प्रकरण क्रमांक 06/13-14 / स्व.नि. अपर कलेक्टर श्योपुर उनवान म.प्र. शासन बनाम अरूण कुमार जाट व अन्य 7, पीठासीन अधिकारी श्री पी.एल. सोलंकी ।

श्रीमान जी,
आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

कैलाश नारायण उपाध्याय एडवोकेट
3/4/2018
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 6-4-18 नियत।
बाबू राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 3-4-18

3/4/2018
K.N. Upadhyay

Butasingh

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी /दो/श्योपुर/भूरा/2018/2155

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
6.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री कैलाश नारायण उपमन्यु उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 6/2013–14/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02/02/18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	